

सहायक मुख्य
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

07/02/2025 काज पत्रावली फेरु टुकी

वकील उमप पसकारा उपलिट हें।

उरुणत रिपोर्ट के काया पर

बाद को डिकी डिपे जाति हें

ए हमाति उमप पसकारा के मरिजा

ने सहमति प्रदान की है। अतः वादी
दुर्रजह रिपोर्ट के आधार पर
डिक्री किया जाता है। विस्तृत
निर्णय प्रत्येक से निरवकाश जाकर
शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली के कुल शुमार धेकर वम्बर
से कम हो। बाह व कमील दारिजिल
जिल्ल लख मठडा है। कुनामा
गमा।

सि

सहायक कलक्टर (फाउण्डे)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पीठासीन अधिकारी - सुरेश कुमार बलाई

(आर०ए०एस०)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
151/22	22.08.2022	07.02.2025

1. गीता देवी पत्नि रतीराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
2. चिडिया देवी पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०

--- वादीयान

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
2. अनिल कुमार पुत्र लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
3. अमित पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
4. कमलेश देवी पत्नि लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
5. कविता पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
6. पूनम पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
7. भरतसिंह पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
8. भौरेलाल पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर -
9. रेखा पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
10. रणसिंह पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
11. रामेश्वर दयाल पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
12. वेदपाल पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

13. सुमन पत्नि वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
14. सावलिया पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
15. कम्मूखां पुत्र बच्चू खों निवासी मातौर तह० मुण्डावर
16. चौदबाई पत्नि जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
17. जुम्मनखों पुत्र बच्चूखां निवासी मातौर तह० मुण्डावर
18. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय,
मुण्डावर जिला अलवर, राज०

--- प्रतिवादीगण

दावा- तकासमा मय हु० ई०दवामी अर्न्तगत धारा 53 व188
राज० काश्त० अधि०

उपस्थित - श्री हंसराज यादव वकील वादीगण

श्री पृथ्वीसिंह यादव वकील प्रतिवादीगण

// निर्णय //

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णयादेश पेश हुई । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि - आराजी हाल ख० नम्बरान 676 रकबा 0.17 है०, 677 रकबा 0.18 है०, 683 रकबा 0.46 है०, 688 रकबा 0.30 है०, 698 रकबा 0.27 है०, 702 रकबा 0.37 है०, 735 रकबा 0.01, 736 रकबा 0.34 है०, 738 रकबा 0.01 है०, 739 रकबा 0.14 है०, 753 रकबा 0.43, 758 रकबा 0.41 है०, 767 रकबा 0.40 है०, 770 रकबा 0.38 है०, वाके ग्राम मातौर तह० गुण्डावर व आराजी ख० 189 रकबा 0.18 है०, 190 रकबा 0.57 है०, 191 रकबा 0.02 है०, 183 रकबा 0.44 है०, 209 रकबा 0.26 है०, 211 रकबा 0.09 है० वाके ग्राम शहापुर तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज० में स्थित है, जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। मुलाहिजा हाल जमाबन्दी सलग्न है। उक्त विवादित आराजीयत हाल ख० नम्बरान 676 रकबा 0.17 है०, 677 रकबा 0.18 है०, 683 रकबा 0.46 है०, 688 रकबा 0.30 है०, 698 रकबा 0.27 है०, 702 रकबा 0.37 है०, 735 रकबा 0.01, 736 रकबा 0.34 है०, 738 रकबा 0.01 है०, 739 रकबा 0.14 है०, 753 रकबा 0.43, 758 रकबा 0.41 है०, 767 रकबा 0.40 है०, 770 रकबा 0.38 है०, वाके ग्राम मातौर तह० गुण्डावर व आराजी ख० 189 रकबा 0.18 है०, 190 रकबा 0.57 है०, 191 रकबा 0.02 है०, 183 रकबा 0.44 है०, 209 रकबा 0.26 है०, 211 रकबा 0.09 है० में मिन वादीयान व प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 17 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है तथा मौके पर मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17

सहायक कलेक्टर (फा०००)
मुण्डावर (सिरेथल-तिजारा)

अपने अपने हिस्सेनुसार आराजी पर काबिज होकर सामलात में काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी का आज दिन तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 17 विवादित आराजी का विशिष्ट भाग को बिना विधिक तकासमा कराये ही बेचान करने व निर्माण करने पर उतारू हो रहे हैं, उक्त विवादित आराजी में से मालाबक्स रोड निकल रहा है। जिसमें उक्त मिन वादीयान के हिस्से आई आराजी प्रभावित हो रही है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा अवाप्ती की कार्यवाही हो रही है उक्त विवादित आराजी रोड में गई आराजी की मुआवजा राशी राज्य सरकार द्वारा जो स्वीकृत की जायेगी वो सभी काश्तकारों को राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वीकृत की जावेगी जबकि उक्त रोड में मिन वादीयान की आराजी जा रही है। अगर सभी काश्तकारों में मुआवजा राशी स्वीकृत होगी तो वादीयागण को अपूर्ण्य क्षति होगी इसलिए मुआवजा राशी स्वीकृत होने से पूर्व सभी सहकाश्तकारों का विवादित आराजी का विभाजन किया जाना अति आवश्यक हो गया है। इसलिए अविलम्ब ही ये दावा तकासमा मय हु०ई० दवामी पेश करना लाजिम आया है। विवादित आराजी मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 की सामलाती आराजी रही है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 के नाम का अंकन हो रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण सामलाती इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी को बिला तकासमा कराये ही बेचान करने व निर्माण करने पर उतारू हो रहे हैं तथा मिन वादी को उसके हिस्से से बेदखल करना चाहते हैं, जबकी आराजी सामलाती है तथा सामलाती आराजी होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेस मिन वादी के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई प्रतिवादीगण द्वारा मिन वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है तथा हम वादी को आराजी से बेदखल कर दिया जाता है तथा अपने हिस्से को बिला विधिक तकासमा कराये ही बेचान कर दिया जाता है या निर्माण कर लिया जाता है तो वादी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा। चूँकि मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादी अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है। (अ) यह है कि डिकी इजाय तकासमा इस अमर की पारित की जाकर विवादित आराजी हाल ख० नम्बरान 676 रकबा 0.17 है०, 677 रकबा 0.18 है०, 683 रकबा 0.46 है०, 688 रकबा 0.30 है०, 698 रकबा 0.27 है०, 702 रकबा 0.37 है०, 735 रकबा 0.01, 736 रकबा 0.34 है०, 738 रकबा 0.01 है०, 739 रकबा 0.14 है०, 753 रकबा 0.43, 758 रकबा 0.41 है०, 767 रकबा 0.40 है०, 770 रकबा 0.38 है०, वाके ग्राम मातोर तह० गुण्डावर व आराजी ख० 189 रकबा 0.18 है०, 190 रकबा 0.57 है०, 191 रकबा 0.02 है०, 183 रकबा 0.44 है०,

सि
 सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
 मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

209 रकबा 0.26 है., 211 रकबा 0.09 है० वाके ग्राम शहापुर तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज० में मिन वादी के हिस्से का तकासमा कर मौके पर काबिज अनुसार कुरेजात रिपोर्ट मंगायी जाकर रास्ता कायम करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे व मिन वादीगण का अलग से खाता लगान कायम किया जाकर मिन वादीगण को अलग से दखल दिलाई जाये ।

(ब) यह है कि डिकी हु० ई० दवानी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाये कि वो विवादित आराजी वादपत्र के जिम्नन०१ में दर्ज वाके ग्राम मातोर व शहापुर तह० मुण्डावर को बिला तकासमा कहीं रहन, बैय, हिब्बा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादी के काशत कार्य में मजाहमत पैदा करें, ना ही वादी को आराजी से जबरन बेदखल कर आराजी पर कब्जा करें, व बिना तकासमा किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने वाद में मुताबिक मौका एवं रिकोर्ड कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने एवं वाद को प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु मौखिक सहमति प्रदान की।

वादीया ने अपने वाद के समर्थन मे नकल जमाबन्दी खसरा गिरदावरी आदि पेश की।

वकील वादी की बहस सुनी । पत्रावली का अध्ययन किया। वादी वकील का कथन है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है तथा मौके पर मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 अपने अपने हिस्सेनुसार आराजी पर काबिज होकर सामलात में काशत करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी का आज दिन तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 17 विवादित आराजी का विशिष्ट भाग को बिना विधिक तकासमा कराये ही बेचान करने व निर्माण करने पर उतारू हो रहे है, उक्त विवादित आराजी में से मालाबक्स रोड निकल रहा है। जिसमें उक्त मिन वादीयान के हिस्से आई आराजी प्रभावित हो रही है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ती की कार्यवाही हो रही है उक्त विवादित आराजी रोड में गई आराजी की मुआवजा राशी राज्य सरकार द्वारा जो स्वीकृत की जायेगी वो सभी काशतकारों को राजस्व रिकोर्ड अनुसार स्वीकृत की जावेगी जबकि उक्त रोड में मिन वादीयान की आराजी जा रही है। अगर सभी काशतकारो में मुआवजा राशी स्वीकृत होगी तो वादीयागण को अपूर्ण्य क्षति होगी इसलिए मुआवजा राशी स्वीकृत होने से पूर्व सभी सहकाशतकारो का विवादित आराजी का विभाजन किया जाना अति आवश्यक हो गया है। इस अमर की पारित की जाकर विवादित आराजी हाल ख० नम्बरान 676 रकबा 0.17 है0, 677 रकबा 0.18 है0, 683 रकबा 0.46 है0 , 688 रकबा 0.30 है0, 698 रकबा 0.27



सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

है. 702 रकबा 0.37 है०, 735 रकबा 0.01 , 736 रकबा 0.34 है०, 738 रकबा 0.01 है., 739 रकबा 0.14 है०, 753 रकबा 0.43 , 758 रकबा 0.41 है०, 767 रकबा 0.40 है०, 770 रकबा 0.38 है, वाके ग्राम मातोर तह० गुण्डावर व आराजी ख० 189 रकबा 0.18 है, 190 रकबा 0.57 है०, 191 रकबा 0.02 है, 183 रकबा 0.44 है, 209 रकबा 0.26 है., 211 रकबा 0.09 है० वाके ग्राम शहापुर तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज० में मिन वादी के हिस्से का तकासमा कर मौके पर काबिज अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मंगायी जाकर रास्ता कायम करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

बाद सुनवाई वादीया का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार मुण्डावर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2024/10341 दिनांक 28.11.24 के जर्ने कुर्रेजात रिपोर्ट कायम दिनांक 22.11.24 प्राप्त हुई। कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनवाई किये जाने पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान कर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये हैं।

—: आदेश :-

अतः उक्त विवादित आराजीयात बाबत वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है— कुर्रेजात रिपोर्ट कायम दिनांक 22.11.2024 प्रदर्श - अ इस निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त प्रदर्श-अ के अनुसार ही हाल भू अभिलेख में सम्बन्धित पक्षकारान को खातेदार अंकित किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।


सहायक कलेक्टर (फांट्र०)
(सुरेश कुमार बलहारी)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर

मुण्डावर जिला खैरथल - तिजारा

पीठासीन अधिकारी - सुरेश कुमार बलाई
(आर०ए०एस०)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
151 / 22	22.08.2022	07.02 .2025

1. गीता देवी पत्नि रतीराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
2. चिडिया देवी पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०

— वादीयान

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
2. अनिल कुमार पुत्र लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
3. अमित पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
4. कमलेश देवी पत्नि लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
5. कविता पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
6. पूनम पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
7. भरतसिंह पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
8. भौरैलाल पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर -
9. रेखा पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
10. रणसिंह पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
11. रामेश्वर दयाल पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
12. वेदपाल पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
13. सुमन पत्नि वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
14. सावलिया पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
15. कम्मूखां पुत्र बच्चू खॉ निवासी मातौर तह० मुण्डावर
16. चॉदबाई पत्नि जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
17. जुम्मनखॉ पुत्र बच्चूखां निवासी मातौर तह० मुण्डावर


सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

18.राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर
जिला अलवर, राज०

---- प्रतिवादीगण

दावा- तकासमा मय हु० ई०दवामी अन्तगत धारा 53 व188

राज० काश्त० अधि०

उपस्थित - श्री हंसराज यादव वकील वादीगण

श्री पृथ्वीसिंह यादव वकील प्रतिवादीगण

//पर्चा डिकी //

उक्त विवादित आराजीयात बाबत वाद वादी मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट डिकी किया जाता है- कुरेजात रिपोर्ट कायम दिनांक 22.11.2024 प्रदर्श - अ इस निर्णय एवं पर्चा डिकी का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त प्रदर्श-अ के अनुसार ही हाल भू० अभिलेख में सम्बन्धित पक्षकारान को खातेदार अंकित किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

यह पर्चा डिकी आज दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
(सुरेश कुमार बलारुद्रावर खैरथल-तिजारा)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर

मुण्डावर जिला खैरथल - तिजारा

पीठासीन अधिकारी - सुरेन्द्र प्रसाद

(आर०ए०एस०)

दावा संख्या

रजू दिनांक

निर्णय दिनांक

151 / 22

22.08.2022


11.09.2024

1. गीता देवी पत्नि रतीराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
2. चिडिया देवी पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०

वादीयान

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
2. अनिल कुमार पुत्र लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
3. अमित पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
4. कमलेश देवी पत्नि लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
5. कविता पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
6. पूनम पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
7. भरतसिंह पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
8. भौरेलाल पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर -
9. रेखा पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
10. रणसिंह पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
11. रामेश्वर दयाल पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
12. वेदपाल पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
13. सुमन पत्नि वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
14. सावलिया पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
15. कम्मूखां पुत्र बच्चू खाँ निवासी मातौर तह० मुण्डावर
16. चॉदबाई पत्नि जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
17. जुम्मनखाँ पुत्र बच्चूखाँ निवासी मातौर तह० मुण्डावर


सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)


प्रतिवादीगण

दावा- तकासमा मय हु० ई०दवामी अन्तर्गत धारा 53 व188
राज० काश्त० अधि०


उपस्थित - श्री हंसराज यादव वकील वादीगण
श्री पृथ्वीसिंह यादव वकील प्रतिवादीगण

/// निर्णय ///

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णयादेश पेश हुई । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि - आराजी हाल ख० नम्बरान 676 रकबा 0.17 है०, 677 रकबा 0.18 है०, 683 रकबा 0.46 है०, 688 रकबा 0.30 है०, 698 रकबा 0.27 है०, 702 रकबा 0.37 है०, 735 रकबा 0.01, 736 रकबा 0.34 है०, 738 रकबा 0.01 है०, 739 रकबा 0.14 है०, 753 रकबा 0.43, 758 रकबा 0.41 है०, 767 रकबा 0.40 है०, 770 रकबा 0.38 है०, वाके ग्राम मातोर तह० गुण्डावर व आराजी ख० 189 रकबा 0.18 है०, 190 रकबा 0.57 है०, 191 रकबा 0.02 है०, 183 रकबा 0.44 है०, 209 रकबा 0.26 है०, 211 रकबा 0.09 है० वाके ग्राम शहापुर तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज० में स्थित है, जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। मुलाहिजा हाल जमाबन्दी सलग्न है। उक्त विवादित आराजीयत हाल ख० नम्बरान 676 रकबा 0.17 है०, 677 रकबा 0.18 है०, 683 रकबा 0.46 है०, 688 रकबा 0.30 है०, 698 रकबा 0.27 है०, 702 रकबा 0.37 है०, 735 रकबा 0.01, 736 रकबा 0.34 है०, 738 रकबा 0.01 है०, 739 रकबा 0.14 है०, 753 रकबा 0.43, 758 रकबा 0.41 है०, 767 रकबा 0.40 है०, 770 रकबा 0.38 है०, वाके ग्राम मातोर तह० गुण्डावर व आराजी ख० 189 रकबा 0.18 है०, 190 रकबा 0.57 है०, 191 रकबा 0.02 है०, 183 रकबा 0.44 है०, 209 रकबा 0.26 है०, 211 रकबा 0.09 है० में मिन वादीयान व प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 17 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है तथा मौके पर मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 अपने अपने हिस्सेनुसार आराजी पर काबिज होकर सामलात में काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी का आज दिन तक विधिक तकासमा


सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

नहीं हुआ है। उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 17 विवादित आराजी का विशिष्ट भाग को बिना विधिक तकासमा कराये ही बेचान करने व निर्माण करने पर उतारू हो रहे है, उक्त विवादित आराजी में से मालाबक्स रोड निकल रहा है। जिसमें उक्त मिन वादीयान के हिस्से आई आराजी प्रभावित हो रही है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा अवाप्ती की कार्यवाही हो रही है उक्त विवादित आराजी रोड में गई आराजी की मुआवजा राशी राज्य सरकार द्वारा जो स्वीकृत की जायेगी वो सभी काश्तकारों को राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वीकृत की जावेगी जबकि उक्त रोड में मिन वादीयान की आराजी जा रही है। अगर सभी काश्तकारों में मुआवजा राशी स्वीकृत होगी तो वादीयागण को अपूर्ण्य क्षति होगी इसलिए मुआवजा राशी स्वीकृत होने से पूर्व सभी सहकाश्तकारों का विवादित आराजी का विभाजन किया जाना अति आवश्यक हो गया है। इसलिए अविलम्ब ही ये दावा तकासमा मय हु०ई० दवामी पेश करना लाजिम आया है। विवादित आराजी मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 की सामलाती आराजी रही है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 के नाम का अंकन हो रहा है. लेकिन प्रतिवादीगण सामलाती इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी को बिला तकासमा कराये ही बेचान करने व निर्माण करने पर उतारू हो रहे है तथा मिन वादी को उसके हिस्से से बेदखल करना चाहते है, जबकी आराजी सामलाती है तथा सामलाती आराजी होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेस मिन वादी के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई प्रतिवादीगण द्वारा मिन वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है तथा हम वादी को आराजी से बेदखल कर दिया जाता है तथा अपने हिस्से को बिला विधिक तकासमा कराये ही बेचान कर दिया जाता है या निर्माण कर लिया जाता है तो वादी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा। चूँकि मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादी अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है। (अ) यह है कि डिकी इजाय तकासमा इस अमर की पारित की जाकर विवादित आराजी हाल ख० नम्बरान 676 रकबा 0.17 है०, 677 रकबा 0.18 है०, 683 रकबा 0.46 है०, 688 रकबा 0.30 है०, 698 रकबा 0.27 है. 702 रकबा 0.37 है०, 735 रकबा 0.01, 736 रकबा 0.34 है०, 738 रकबा 0.01 है., 739 रकबा 0.14 है०, 753 रकबा 0.43, 758 रकबा 0.41 है०, 767 रकबा 0.40 है०, 770 रकबा 0.38 है, वाके ग्राम मातोर तह० गुण्डावर व आराजी ख० 189 रकबा 0.18 है, 190 रकबा 0.57 है०, 191 रकबा 0.02 है, 183 रकबा 0.44 है, 209 रकबा 0.26 है., 211 रकबा 0.09 है० वाके ग्राम


सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

शहापुर तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज० में मिन वादी के हिस्से का तकासमा कर मौके पर काबिज अनुसार कुर्रैजात रिपोर्ट मंगायी जाकर रास्ता कायम करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे व मिन वादीगण का अलग से खाता लगान कायम किया जाकर मिन वादीगण को अलग से दखल दिलाई जाये ।

(ब) यह है कि डिक्री हु० ई० दवानी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाये कि वो विवादित आराजी वादपत्र के जिम्ननं० 1 में दर्ज वाके ग्राम मातोर व शहापुर तह० मुण्डावर को बिला तकासमा कहीं रहन, बैय, हिब्बा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करें, ना ही वादी को आराजी से जबरन बेदखल कर आराजी पर कब्जा करें, व बिना तकासमा किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने वाद में मुताबिक मौका एवं रिकोर्ड कुर्रैजात रिपोर्ट मंगवाने एवं वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु मौखिक सहमति प्रदान की है।

वादीया ने अपने वाद के समर्थन मे नकल जमाबन्दी खसरा गिरदावरी आदि पेश की।

वकील वादी की बहस सुनी। पत्रावली का अध्ययन किया। वादी वकील का कथन है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है तथा मौके पर मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 अपने अपने हिस्सेनुसार आराजी पर काबिज होकर सामलात में काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी का आज दिन तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 17 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 17 विवादित आराजी का विशिष्ट भाग को बिना विधिक तकासमा कराये ही बेचान करने व निर्माण करने पर उतारू हो रहे है, उक्त विवादित आराजी में से मालाबक्स रोड निकल रहा है। जिसमें उक्त मिन वादीयान के हिस्से आई आराजी प्रभावित हो रही है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा भूमे अवार्ता को कार्यवाही हो रही है उक्त विवादित आराजी रोड में गई आराजी की मुआवजा राशी राज्य सरकार द्वारा जो स्वीकृत की जायेगी वो सभी काश्तकारों को राजस्व रिकोर्ड अनुसार स्वीकृत की जावेगी जबकि उक्त रोड में मिन वादीयान की आराजी जा रही है। अगर सभी काश्तकारो में मुआवजा राशी स्वीकृत होगी तो वादीयागण को अपूर्ण्य क्षति होगी इसलिए मुआवजा राशी स्वीकृत होने से पूर्व सभी सहकाश्तकारो का विवादित आराजी का विभाजन किया जाना अति आवश्यक हो गया है। इस अमर की पारित की जाकर विवादित आराजी हाल ख० नम्बरान 676 रकबा 0.17 है0. 677 रकबा 0.18 हे0, 33

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (स्वैरथल-तिजार)

रकबा 0.46 है0 , 688 रकबा 0.30 है0, 698 रकबा 0.27 है. 702 रकबा 0.37 है0, 735 रकबा 0.01 , 736 रकबा 0.34 है0, 738 रकबा 0.01 है., 739 रकबा 0.14 है0, 753 रकबा 0.43 , 758 रकबा 0.41 हैक0, 767 रकबा 0.40 हैक0, 770 रकबा 0.38 है, वाके ग्राम मातौर तह0 मुण्डावर व आराजी ख0 189 रकबा 0.18 है, 190 रकबा 0.57 हैक0, 191 रकबा 0.02 है, 183 रकबा 0.44 है, 209 रकबा 0.26 है., 211 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम शहापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में मिन वादी के हिस्से का तकासमा कर मौके पर काबिज अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मंगायी जाकर रास्ता कायम करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। चूंकि उक्त आराजी पर सभी सहकाशतकार सामलाती रूप के काशत कर रहे हैं एव काबिज हैं अतः हम वाद वादी को प्रारम्भिक डिक्री किया जाना युक्तियुक्त व न्यायोचित समझते हैं।

// आदेश //

अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख0 नम्बरान 676 रकबा 0.17 है0, 677 रकबा 0.18 है0, 683 रकबा 0.46 है0 , 688 रकबा 0.30 है0, 698 रकबा 0.27 है. 702 रकबा 0.37 है0, 735 रकबा 0.01 , 736 रकबा 0.34 है0, 738 रकबा 0.01 है., 739 रकबा 0.14 है0, 753 रकबा 0.43 , 758 रकबा 0.41 हैक0, 767 रकबा 0.40 हैक0, 770 रकबा 0.38 है, वाके ग्राम मातौर तह0 मुण्डावर व आराजी ख0 189 रकबा 0.18 है, 190 रकबा 0.57 हैक0, 191 रकबा 0.02 है, 183 रकबा 0.44 है, 209 रकबा 0.26 है., 211 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम शहापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 जिस पर वे संयुक्त रूप से काबिज होकर काशत कर रहे हैं। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्त आराजी की वादी एवं प्रतिवादीगण की हिस्से आराजी एवं मौके अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुरूप स्वयं मौके पर जाकर कुर्रेजात कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 11.09.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
(सुरेन्द्र प्रसाद)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर

मुण्डावर जिला खैरथल - तिजारा

पीठासीन अधिकारी - सुरेन्द्र प्रसाद

(आर०ए०एस०)

दावा संख्या

रजू दिनांक

निर्णय दिनांक

151/22

22.08.2022

11.09.2024

1. गीता देवी पत्नि स्तीराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
2. चिडिया देवी पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०

वादीयान

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
2. अनिल कुमार पुत्र लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
3. अमित पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
4. कमलेश देवी पत्नि लखनलाल जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
5. कविता पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
6. पूनम पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
7. भरतसिंह पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
8. भौरेलाल पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
9. रेखा पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
10. रणसिंह पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर जिला अलवर
11. रामेश्वर दयाल पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
12. वेदपाल पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
13. सुमन पत्नि वीरसिंह जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
14. सावलिया पुत्र जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
15. कम्मूखां पुत्र बच्चू खाँ निवासी मातौर तह० मुण्डावर
16. चॉदबाई पत्नि जस्सुराम जाति जाट निवासी मातौर तह० मुण्डावर
17. जुम्नखाँ पुत्र बच्चूखाँ निवासी मातौर तह० मुण्डावर

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

18. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर
जिला अलवर, राज०

प्रतिवादीगण

दावा- तकासमा मय हु० ई०दवामी अर्न्तगत धारा 53 व 188
राज० काश्त० अधि०

उपस्थित -

/// पर्चा डिकी ///

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णयादेश पेश हुई । अतः वाद वादी प्राथमिक डिकी
किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख० नम्बरान 676 रकबा 0.17 है०, 677
रकबा 0.18 है०, 683 रकबा 0.46 है०, 688 रकबा 0.30 है०, 698 रकबा 0.27 है०, 702
रकबा 0.37 है०, 735 रकबा 0.01, 736 रकबा 0.34 है०, 738 रकबा 0.01 है०, 739
रकबा 0.14 है०, 753 रकबा 0.43, 758 रकबा 0.41 है०, 767 रकबा 0.40 है०, 770
रकबा 0.38 है, वाके ग्राम मातोर तह० गुण्डावर व आराजी ख० 189 रकबा 0.18 है,
190 रकबा 0.57 है०, 191 रकबा 0.02 है, 183 रकबा 0.44 है, 209 रकबा 0.26 है,
211 रकबा 0.09 है० वाके ग्राम शहापुर तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज० जिस पर वे
संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्त आराजी
की वादी एवं प्रतिवादीगण की हिस्से आराजी एवं मौके अनुसार राज्य सरकार द्वारा
प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप स्वयं मौके पर जाकर कुर्रजात कायम कर कुर्रजात रिपोर्ट इस
न्यायालय में पेश करें।

आज दिनांक 11.09.2024 को यह पर्चा डिकी मेरे द्वारा लिखवाई जाकर
न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।


सहायक कलक्टर (फा०ट्र०)
(सुरेन्द्र प्रसाद)
(R.A.S.)

सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला खैरथल - तिजारा

सहायक
मुख्यवर (खैरथल-तिजारा)

०३/०२/२५
पत्रावली मेरु
कृष्ण उपस्थित

सहायक कलकत्ता (फा०ट्रे०)
मुख्यवर (खैरथल-तिजारा)

इस पत्रिका के संबंधित सूचना
 वाद को छुट्टी पात्र रिपोर्ट
 के आ धाट पर डिप्टी रिप
 जावा ही कल इल कल
 में आगे पुनर्वाही विषय
 का छुट्टी को चिटप नवी
 इन पत्रिका की 212 RTA में
 शामिल पुनर्वाही इसी तरह पर
 उपरोक्त पात्र पत्रिका - 212
 की जाती है पत्रिका - फेबल -
 पुनर्वाही नंबर से इनके
 की लक्ष्मी संलग्न सूचना
 212 पुनर्वाही गंगा

सि

सहायक (फा0ट्र0)
 मुख्यालय - तिजारा